

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 267/2016

बउनवान

मोडूलाल आयु 57 साल पुत्र श्री नंदलाल जाति-धाकड
निवासी-रूपपुरा तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार,अन्ता

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक - 02.04.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता, आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-रूपपुरा, तहसील-अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर बाडा बनाकर कब्जा करने का अतिक्रमी मानकर 256/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर अपीलांट के विरुद्ध बिना सुने व बिना साक्ष्य लिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट का उक्त आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण व बाडा नहीं है। अतिक्रमण अन्य भूमि पर था जिसे हल्का पटवारी के कहे अनुसार पूर्व से कब्जा छोड रखा है। जिस दिन

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हल्का पटवारी ने रिपोर्ट की है, मौका नहीं देखा गया है, मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई थी जो वर्तमान में भी खाली है। साथ ही निवेदन किया कि वह उक्त आराजी पर भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखली व सजायाब करने के आदेश पारित किये गये हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत हल्का पटवारी के बयान, पूर्व बेदखलीनामा संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2071 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार, अन्ता से विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिससे पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान पर मौके पर खाली पड़ी हुई है तथा अपीलांत का बहस के दौरान कथन रहा है कि वह भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 345/15 में पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)